	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 22, गुरुवार, शाके 1934–दिसम्बर 13, 2012
Agrahayana 22, Thursday, Saka 1934– December 13, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 29, 2012

संख्या प. 23 (2)चिस्वा./ग्रुप–3/2003 पार्ट :– गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 57) की धारा 16ए की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ. 23 (2)चिकि. एवं स्वा/ग्रुप–3/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 01–07–2003 जिससे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया गया था में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान क्रम सं. 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 एवं उनकी प्रवष्टियों को क्रमशः निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :–

"1. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान — अध्यक्ष
2. प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान — उपाध्यक्ष
3. प्रभारी सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, जयपुर या उनके प्रतिनिधि
4. प्रभारी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर या उनके प्रतिनिधि
5. प्रभारी सचिव, विधि विभाग, जयपुर या उनके प्रतिनिधि
6. प्रभारी सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर या उनके प्रतिनिधि "

राज्यपाल की आज्ञा से,
चुन्नी लाल कायल,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।